न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री रामा पिता देवजी भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा (राज0)
2. श्री मगन पिता भवजी भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा (राज0)
3. श्री हरिशंकर पिता श्री रामा भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा (राज0)
4. श्री विजयपाल पिता श्री रामा भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा (राज0)
5. श्रीमती रूपी पत्नी श्री रामा भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा (राज0)
6. श्रीमती सविता पत्नी श्री मगन भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा (राज0)
7. श्रीमती पुनी बेवा स्व. भागजी भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाडा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री बदामीलाल पिता श्री रावजी भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री दलजी पिता रावजी भील निवासी बरजडिया तहसील आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर आनन्दपुरी दिनांक 23–06–2015 प्रकरण
सांख्या 28/2013 राजस्व वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री भगवतपुरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

——————————

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 22–02–2018</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट वादीगण द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादी के विरूद्ध धारा–188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात कूल किता–15 रकबा 1.46 हैक्टर गांव बरजडिया में स्थित होकर वादीगण की खातेदारी व कब्जे में है तथा इन भूमियों पर प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादीगण आराजी नंबर 310, 320, 321 व 711 में एक माह पूर्व अनाधिकृत रूप प्रवेश कर भूमि को हांकने लगे तथा पक्का निर्माण करने को उतारू है, तथा वादी के कब्जे में व्यवधान पैदा कर रहे है। अतएव वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा एवं अन्य उचित विधिक अनुतोष दिलवाया जाय।

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के द्वारा खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया किया आराजी नंबर 310, 320, 321 व 711 (विवादित आराजीयात) पर वादी का कब्जा नहीं है। शेष भूमि वादी के स्वामित्व व कब्जे में है। विवादित भूमियों पर 50 वर्षो से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। वादी का विवादित भूमि पर कब्जा ही नहीं है। मिथ्यावाद पेश किया है। मूल सर्वे नंबर 200/2 के हाल नंबर विवादित आराजीयात है। आराजाी नंबर 200/2 का अवैध आवंटन दिनांक 17–6–1992 वादीगणों को हुआ है। जिसकी आवंटन निरस्तीसकरण का प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय में लम्बित है। वादी का कब्जा नहीं होने से उसका वाद खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. ***आया वादीगण के स्वामित्व व कब्जे काश्त की कृषि भूमि वाद च. स. 1 अनुसार होकर मोजा बरजडिया में स्थित है? .....वादीगण***
2. ***आया प्रतिवादीगण वादीगण के खाते की कृषि भूमि सर्वे नं. 310, 320, 321, 711 में जबरन कब्जा करने के उद्धेश्य से हंकाई कर पक्का निर्माण करने हेतु नींव खोदकर शान्ति पूर्वक काश्त में व्यवधान पैदा करने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोके जाने आवश्यक है? .....वादीगण***
3. ***आया वादग्रस्त कृषि भूमि पुराने सर्वे नम्बर 200/2 के हाल सर्वे नं0 310, 320, 321, 711 होकर प्रतिवादीगण के स्वामित्व व कब्जे की होकर प्रतिवादीगण के मकान बने हुए है? .....प्रतिवादीगण***

4. आया वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण ने अवैध रूप से दिनांक 17–6–1992 आवंटन अपने नाम गलत तरीके से कराया है जिसका वाद ए.डी.एम. महोदय बांसवाड़ा के न्यायालय में लम्बित है? .....प्रतिवादीगण

5. अनुतोष

अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 5–9–2013 से पत्रावली शहादत वादी में चल रही थी, परन्तु दिनांक 5–9–2013 से लेकर दिनांक 19–5–2015 तक प्रकरण में वादी की साक्ष्य नहीं हुई । दिनांक 19–5–2015 को अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को दिनांक 23–6–2015 की आदेशिका अंकित की दिनांक 23–6–2015 को लोक अदालत में निम्नानुसार आदेशिका अंकित की हैः– .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहफाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23–6–15	पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प में पेश हुई। वादी प्रतिवादी पक्ष उपस्थित। वादी सं. 1 ने प्रार्थना–पत्र साक्ष्य में विलम्ब का कारण बताया जाकर शपथ पत्र एवं प्रतिवादी द्वारा आवंटन खारिज की अपील के निर्णय की प्रति पेश की सामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी से साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कहा गया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे एवं विशेष कथन के अनुसार ही हमार कथन है। प्रकरण मेरिट के अनुसार निर्णित करने हेतु पक्षकारान की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर सामिल पत्रावली किया गया। निर्णय मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फसल शुमार होकर कमी रजिस्टर हो। **ह0/–** **सहायक कलक्टर बागीदौरा** **जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)**	

उक्त आदेशिका के साथ ही अधिनस्थ न्यायालय ने विस्तृत निर्णय पारित करते हुए वादी रेस्पोन्डेन्ट का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री कर दिया। अधिनस्थ नयायालय के उक्त निर्णय दिंाक 23–6–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–9–2015 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को विधिवत सुने बिना उक्त निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय की जानकारी 5–8–2015 को न्यायालय से प्रकरण के

निस्तारण की सूचि चस्पा करने से हुई एवं अन्दर जानकारी मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी दिया है। अखण्डित शपथ पत्र व न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री भगवतपुरी ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय में उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्राप्त किये बिना निर्णय पारित किया है। प्रकरण को लोक अदालत में बिना सूचना रखा तथा बिना सहमति गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर दिया । तनकीयात के बाद प्रतिवादी अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया। सभी तनकीयात का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध त्रुटिपूर्ण रूप से किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में आदेशिका दिनांक 23–6–2015 अनुसार अपीलान्ट रामा स्वयं उपस्थित है तथा यह भी अंकित है कि प्रतिवादी स्वयं ने अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने से मना किया। प्रकरण में अपीलान्ट प्रतिवादी का प्रमुख उजर यह है कि विवादित भूमियों पर वादी का कब्जा नहीं है तथा उसे आवंटन विधि विरूद्ध किया गया है।

प्रतिवादी को यह स्थापित करना था कि आवंटी वादी का या तो आवंटन निरस्त हो गया है अथवा उसका विवादित भूमियों पर अपीलान्ट प्रतिवादी का कब्जा हो। अधिनस्थ न्यायाल के समक्ष आवंटन निरस्तीकरण का अपीलान्ट का आवेदन खारिज होने का निर्णय प्रस्तुत था तथा रेकार्डेड खातेदार वादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलान्ट का कब्जा होने की कोई साक्ष्य प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय अथवा इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है।

उपरोक्तानुसार स्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में जब रेकार्डेड खातेदार का आवंटन बहाल रहा हो तथा उसके विरूद्ध प्रतिवादी का कब्जा होने की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हों। विशेष रूप से जब प्रतिवादी स्वयं यह कहता हो कि उसे अपने जवाबदावे तथा विशेष कथन के अलावा कुछ नहीं कहना, तो ऐसी परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेकार्डेड खातेदार/विधिक आवंटी का कब्जा माना जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित करते हुए रेस्पोन्डेन्ट वादी के पक्ष में जो स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–6–2015 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–श्री रामा पिता देवजी भील
निवासी बरजडिया तहसील
आनन्दपुरी जिला बांसवाड़ा
अन्य–6

बनाम

1– श्री बदामीलाल पिता श्री रावजी
निवासी बरजडिया तहसील
आनन्दपुरी जिला बंसावाड़ा
अन्य–1

अपील नं0 **36/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **आनन्दपुरी .....** मुकाम मुक्र्खे.....**23**.....माह.....**06**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**22**..... माह .....**02**..... सन् **2018** रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी....**श्री जयेन्द्र पुरोहित ....**..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री भगवतपुरी** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–6–2015 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**22**..... माह ...**02**..... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।